I/109715/2023

उत्तराखण्ड शासन
सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–1
संख्या– /XXXIV(1)/2023/IT-MISC/GOI/3/2020(E-526)
देहरादून : दिनांक मार्च, 2023

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/
सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या– DO.3-1/2022-NBM, दिनांक 07.02.2022 जिसके माध्यम से "Call Before u Dig"(CBuD), Mobile App जो कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक अवस्थापनाओं/संरचनाओं (Infrastructure) को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों/एजेंसियों आदि में सामन्जस्य स्थापित किये जाने के उद्देश्य से बनाया गया है एवं इसके सफल संचालन के सम्बन्ध में राज्य से की गयी अपेक्षा के कम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते है :–

1. शासनादेश संख्या–I/89442/2023, दिनांक 06.01.2023 के द्वारा उद्योग विभाग में सिंगल विन्डो सिस्टम के अन्तर्गत नामित नोडल अधिकारियों जिनको CBuD ऐप के सफल संचालन हेतु विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है, के द्वारा राज्य के सभी विभागों/एजेंसियों आदि से सम्बन्धित विवरण CBuD ऐप पर जोड़ने (Mapping)की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
2. राज्य के सभी विभाग/एजेंसियों आदि द्वारा सार्वजनिक अवस्थापना (Public Infrastructure) से सम्बन्धित स्थलों में खुदाई करने से पूर्व उसकी सूचना CBuD ऐप पर प्रदान कर सम्बन्धित विभागों/एजेंसियों आदि से समन्वय स्थापित करते हुए पूर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।
3. राज्य में किसी विभाग की 'अवस्थापना सम्पत्ति' (Infrastructure Safety) की सुरक्षा से सम्बन्धित यदि कोई नियम आदि विद्यमान हो, तो उन नियमों/उप नियमों/विनियम आदि को संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.01.2023 को निर्गत "Indian Telegraph (Infrastructure Safety) Rules, 2022" (ITIS Rules, 2022) सम्बन्धी अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 24-03-2023 18:55:17 (शैलेश बगौली)
सचिव।

Generated from eOffice by BRIJESH KUMAR TAMTA, SO-IT Section 1 - BKT, SECTION OFFICER, Information Technology Department on 27/03/2023 12:14 PM